न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/68

दायरा दिनांक : 10.06.2024

उनवान

1. राजेश कुमार आत्मज श्री भैरूलाल (मृतक)
2. जगदीश प्रसाद आत्मज श्री भैरूलाल,
जाति कलाल, निवासी होली का चौक खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज०)

.... अपीलांट

बनाम

1. भूपेन्द्र तथाकथित दत्तक पुत्र रामेश्वर, जाति कलाल (पारेता), निवासी होली का चौक, खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज०)
2. भगवती प्रसाद आत्मज श्री भैरूलाल
3. मुरली मनोहर आत्मज श्री भैरूलाल
4. दयावन्ती पुत्री श्री भैरूलाल पत्नी श्री चौथमल, जाति (पारेता) कलाल, निवासी बस स्टेण्ड के पास हरनावदा, तहसील बारा, जिला बारां (राज०)
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड (राज०)
6. शर्मिला बेवा राजेश कुमार, जाति कलाल, निवासी रामद्वारा मोहल्ला खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
7. विनिता पुत्र राजेश पत्नी मोतीलाल, जाति कलाल, निवासी इकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
8. रितु पुत्री राजेश कुमार पत्नी विनोद, जाति कलाल, निवासी इकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
9. सपना पुत्र राजेश कुमार पत्नी हरिओम, जाति कलाल, निवासी कुरावत, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश
10. संजय पारेता आत्मज राजेश कुमार, जाति कलाल, निवासी रामद्वारा मोहल्ला खानपुर, जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री जगदीश नन्दवाना एवं श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री धीरज सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 05.05.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 732/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खानपुर की जमाबंदी संख्या 686 पुराना 642 की खसरा नम्बर 460 रकबा 01.05 बीघा, खसरा नम्बर 461 रकबा 12.00 बीघा, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.18 बीघा, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.02 बीघा कुल 4 किता की 14.05 बीघा आराजी स्थित है। जिसके खातेदार राजेश कुमार, भगवती प्रसाद, मुरली मनोहर, जगदीश पिसरान भैरूलाल, दयावन्ती पुत्र भैरूलाल, शकुन्तला बाई बेवा भैरूलाल पत्नी हिस्सा 5/18, रामेश्वर दयाल पिता किशनगोपाल हिस्सा 1/3, भगवती प्रसाद पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/3, जगदीश प्रसाद पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/18 कोम कलाल सा0 देह खातेदार रेकार्ड दर्ज है। ग्राम खानपुर, तहसील खानपुर के माल की खेवट खतौनी संख्या नया 734 पुराना 688 की खसरा नम्बर 133/2951 रकबा 4.07 बीघा भूमि स्थित है जिसके खातेदार रामेश्वर पुत्र किशनगोपाल, कोम कलाल सा0 देह खातेदार रेकार्ड दर्ज है।ग्राम गाडरवाडा डूण्डी, तहसील खानपुर के माल की खेवट खतौनी संख्या नया 158 पुराना 153 की खसरा नम्बर 25 रकबा 4.18 बीघा, खसरा नम्बर 28 रकबा 9.12 बीघा, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.05 बीघा कुल 3 किता की 14.16 बीघा भूमि स्थित है जिसके खातेदार रामेश्वर दयाल पुत्र किशनगोपाल, जाति कलाल, निवासी खानपुर रेकार्ड दर्ज है। ग्राम डोबडा, तहसील खानपुर के माल की खेवट खतौनी संख्या नया 141 पुराना 139 की खसरा नम्बर 2/710 रकबा 16.00 बीघा भूमि स्थित है जिसके खातेदार भैरूलाल, रामेश्वर पुत्र किशनगोपाल, गोपालीबाई बेवा किशनगोपाल समभाग जाति कलाल, साकिन खानपुर नामान्तरण संख्या 875 दिनांक 22.06.2015 के कालम संख्या 11, 12 से मृतक भैरूलाल व गोपाल बाई के बजाय राजेश भगवती प्रसाद, मुरली मनोहर, जगदीश प्रसाद पिसरान भैरूलाल दयावन्ती पुत्र भैरूलाल, शकुन्तलता बाई धर्म पत्नी श्री भैरूलाल हिस्सा 1/2 रेकार्ड दर्ज है। ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर के माल की खेवट खतौनी संख्या नया 268 पुराना 254 की खसरा नम्बर 192/1360 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नम्बर 193/1361 रकबा 5.04 बीघा कुल 2 किता की 5.18 बीघा भूमि स्थित है, जिसके खातेदार भैरूलाल, रामेश्वर पिसरान किशन गोपाल, गोपालीबाई बेवा किशन गोपाल, जाति कलाल साकिन देह खानपुर रेकार्ड दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2023 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अवैध एवं शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 जो रेस्पोडेंट कम–2 का पुत्र है, तथा जमाबन्दी में उसका नाम दर्ज नहीं है तथा सक्षम न्यायालय से रेस्पोडेंट कम 1 को रामेश्वर का दत्तक पुत्र घोषित नहीं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व न्यायालय को गोद पुत्र घोषित करने का अधिकार नहीं होने पर भी रेस्पोडेंट क्रम 1 को राजेश्वर का दत्तक पुत्र घोषित कर अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय किया है, जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि राजस्व न्यायालय को दत्तक पुत्र घोषित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय शून्य है तथा दीवानी न्यायालय द्वारा गोदपुत्र घोषित होने के पूर्व राजस्व न्यायालय को खातेदारी देने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में संशोधन के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने के पश्चात तथा बिना अपीलाण्ट्स को शहादत का अवसर दिये ही निर्णय करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारों को बिना पक्षकार बनाये वाद डिक्री करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2022 को प्रतिवादी क्रम–8 राघव को डिलीट करने के आदेश के पश्चात दिनांक 19.10.2022 को राघव के प्रार्थना–पत्र पर वाद की मद नम्बर 3 डिलीट करने में भारी त्रुटि की है। जब राघव वाद में पक्षकार नहीं रहा तो उसका प्रार्थना–पत्र कैसे मेन्टेनेबल होगा। रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार भी मृतक रामेश्वर का दत्तक पुत्र मानने में भारी त्रुटि की है। शहादत से भी रेस्पोडेंट क्रम–1 मृतक का दत्तक पुत्र प्रमाणित नहीं होता। शकुन्तला प्रतिवादी क्रम 5 का निर्णय के बाद दिनांक 02.08.2023 को स्वर्गवास हो जाने से तथा उसके कायम मुकाम वाद में पहले से ही पक्षकार होने से अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। विवादित भूमि ग्राम खानपुर की खसरा नम्बर 460 की 0.20, 461 की 1.94, 463 की 0.14, 714 की 0.01 हेक्टयर कुल 4 किता की 2.30 हेक्टयर संयुक्त खातेदारी दर्ज थी, इसी प्रकार खसरा नम्बर 2951 की 0.70 हेक्टयर एवं ग्राम डोबडा की खसरा नम्बर 2/710 की 2.59 हेक्टयर एवं ग्राम खण्डी की खसरा नम्बर 192/1360 की 0.11 हेक्टयर, 193/1361 की 0.84 हेक्टयर भूमि दर्ज है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावें ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.05.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूपेन्द्र रेस्पोडेंट ने स्वयं को रामेश्वर दयाल का दत्तक पुत्र बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा व बंटवारे का दावा दत्तक पुत्र की हैसियत से पेश

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया। जबकि दत्तक पुत्र के आधार पर घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। जब तक भूपेन्द्र गोद पुत्र की घोषणा नहीं करवा लेता है तब तक दावा करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश नहीं हुआ है, प्रतिवादी कम 5 ने इकबाली जवाब दिया है। भूपेन्द्र प्रतिवादी कम 2 भगवती प्रसाद का लड़का है। अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अपील स्वीकार की जाये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में 2010 ए.आई.आर. एस.सी. पेज 818, 2016 (1) डी.एन.जे. (राजस्थान) पेज 205, 1987 डब्ल्यू.एल.एन.(यू.सी.) पेज 399 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नम्बर–1 ने कथन किया कि एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 209 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर यह घोषणा चाही कि रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 वादी सहखातेदार मृतक रामेश्वरदयाल जी एक दत्तक पुत्र है लिहाजा रामेश्वरदयाल जी का वादी दत्तक पुत्र होने से वादी का नाम रामेश्वरदयाल जी के स्थान पर दर्ज किये जाने व खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने की प्रार्थना चाही। अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के रूप में पक्षकार बनाये गये। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से दिनांक 03.08.2017 को तामील हो जाने पर उनकी ओर से श्री संजय गौतम एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी के वाद का अनेकानेक अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये जाने के बावजूद कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया, ना ही वादी के वाद में वर्णित तथ्यों एवं अनुतोष का खंडन नहीं किया तथा दिनांक 09.05.2019 को अपीलार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित फरमा दिये। एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने का भी कोई आवेदन अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट/वादी का वाद दिनांक 15.02.2023 को डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र के तथ्यों एवं अनुतोष का खंडन न करने से अपीलार्थीगण की स्वीकारोक्ति होना माना जायेगा।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का अपीलार्थीगण को बखूबी ज्ञान होने के बावजूद भी उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय में कोई विरोध न कर स्वीकारोक्ति दी है लिहाजा अप्रार्थीगण की अपील मेनटेनेबल नहीं है।

अपील अवधि मध्य भी नहीं है अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का बखूबी ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की लिहाजा अवधि बाहर होने से खारिज होगी। अपील मेमो में वर्णित यह तर्क कि प्रकरण माननीय राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं था किसी भी प्रकार से माने जाने योग्य नहीं है। प्रकरण कृषि आराजीयात से संबंधित है और रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 उक्त कृषि आराजीयात में ही अपने अधिकारों का क्लेम कर रहा है तो सर्वप्रथम राजस्व न्यायालय में घोषणा करानी होगी ऐसी सूरत में मामला विद्वान विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का था।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इस संबंध में 2001 (3) एस.सी.सी. पेज 24 श्रीराम बनाम ए.डी.जे. उल्लेखनीय है इसी तरह 2019 (1) डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 115 उल्लेखनीय है। डी.एन.जे. 2024 (4) राज. पेज 1783 पुरुषोत्तम बनाम दुर्गाराम में दी गई व्यवस्था कि Determination of khatedari right in the land civil court can not grant any relief

इन हालात में रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद उनके क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

इस संबंध में आर.बी.जे. 1998 पेज 207 इन्द्रराज बनाम चन्द में पारित व्यवस्था निम्न है

Suit for declaration of adoption suit for declaration of khatedari righte the issue regarding adoption be decided by revenue court

यह कि वाद बखूबी साबित किया है :– इस संबंध में सम्मानीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय लक्ष्मणसिंह कोठारी बनाम रूपकंवर, ए.आई.आर. 1961 एस.सी. पेज 1378 तथा धनराज जैन बनाम सूरज बाई, ए.आई.आर. 1973 पेज 7 उल्लेखनीय है।

अपीलार्थीगण का यह कथन कतई निराधार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 वादी ने संशोधन के माध्यम से कोई अतिरिक्त सहायता की मांग नहीं की और अपीलार्थीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय में जानबूझकर अनुपस्थिति दर्ज करवा ली थी। लिहाजा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना संभव ही नहीं था।

सभी सहखातेदार विद्वान विचारण न्यायालय में पक्षकार रहे हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की यह अपील मय हर्जा व खर्चा खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष में आर.एल.डब्ल्यू. 2006(2) आर.जे. पेज 788, Law Finder Doc Id # 314985 पेज 1, 2024(4) डी.एन.जे. (राज.) पेज 1783, 2019 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 115, Law Finder Doc Id # 111986 पेज 1, Law Finder Doc Id # 78222 पेज 1, आर.बी.जे.(5) 1998 पेज 207, व अभिधूतियों का विभाजन धारा 55 पेज 223 की नजीरे उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53, 88, 89, 90, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र की मद नं. 1 से 5 में वर्णित कृषि भूमि में से सहखातेदार रामेश्वर दयाल के हिस्से की कृषि आराजी पर स्वयं को रामेश्वर दयाल का दत्तक पुत्र बताते हुए खातेदार कृषक घोषित कर वादग्रस्त भूमि का खाता विभाजित करते हुए वादी के हिस्से की कृषि आराजी को पृथक खाते दर्ज कर कब्जा संभलाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने का अनुतोष चाहा है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई है। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू. 1 लगायत पी.डब्ल्यू. 6 के शपथ पत्र एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य वादी के शपथ पत्र, लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन पश्चात दिनांक 15.02.2023 को निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि रामेश्वर दयाल के कोई जायंदा पुत्र, पुत्री नहीं थे। रामेश्वरदयाल ने वादी भूपेन्द्र को गोद लिया था। वादी ने अपने वाद में लिखित व मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है, ऐसे में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोश प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम खानपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या नया 772 पुराना 642 की खसरा नं. 460 की 0.2023 हेक्टेयर, खसरा नं. 461 की 1.9425 हेक्टेयर, खसरा नं. 463 की 0.1457 हेक्टेयर, खसरा नं. 714 की 0.0162 हेक्टेयर, कुल 4 किता की 2.3067 हेक्टेयर आराजी में से रामेश्वर दयाल पिता किशन गोपाल हिस्सा 1/3 व ग्राम खानपुर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या नया 825 पुराना 688 में खसरा 133/2951 की 0.7042 हेक्टेयर आराजी में खातेदार रामेश्वर पुत्र किशनलाल का हिस्सा सम्पूर्ण एवं ग्राम डोबडा की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या नया 224 पुराना 139 के खसरा नं. 2/710 की 2.5900 हेक्टेयर आराजी में रामेश्वर पुत्र किशनलाल का हिस्सा 1/2 एवं ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 281 पुराना 268 के खसरा नं. 192/1360 की 0.1133 हेक्टेयर, खसरा नं. 193/1361 की 0.8417 हेक्टेयर कुल 2 किता की 0.9550 हेक्टेयर आराजी में खातेदार रामेश्वर पुत्र किशनलाल के स्थान पर भूपेन्द्र दत्तक पुत्र रामेश्वर दयाल, जाति कलाल, निवासी खानपुर को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के डिक्री निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि सक्षम न्यायालय से रेस्पोडेंट कम 1 को रामेश्वर का दत्तक पुत्र घोषित नहीं किया गया है तथा राजस्व न्यायालय को गोद पुत्र घोषित करने का अधिकार नहीं होने पर भी रेस्पोडेंट कम 1 को रामेश्वर का दत्तक पुत्र घोषित कर अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय शून्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर मुख्य रूप से विवादित कृषि आराजी में सहखातेदार रामेश्वर दयाल के दत्तक पुत्र की हैसियत से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वाद में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के रूप में पक्षकार थे। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में श्री संजय गौतम एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा पेश नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। इसके विपरीत वादी ने अपने वाद को साबित करने हेतु पी.डब्ल्यू. 1 लगायत पी.डब्ल्यू. 6 के शपथ पत्र पेश किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में मुख्य रूप से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया है। अतः हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. राजेश कुमार आत्मज श्री भैरूलाल (मृतक)
2. जगदीश प्रसाद आत्मज श्री भैरूलाल,
   जाति कलाल, निवासी होली का चौक खानपुर, तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज०)

.....**अपीलांट**

बनाम

1. भूपेन्द्र तथाकथित दत्तक पुत्र रामेश्वर, जाति कलाल (पारेता), निवासी होली का चौक, खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज०)
2. भगवती प्रसाद आत्मज श्री भैरूलाल
3. मुरली मनोहर आत्मज श्री भैरूलाल
4. दयावन्ती पुत्री श्री भैरूलाल पत्नी श्री चौथमल, जाति (पारेता) कलाल, निवासी बस स्टेण्ड के पास हरनावदा, तहसील बारा, जिला बारां (राज०)
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड (राज०)
6. शर्मिला बेवा राजेश कुमार, जाति कलाल, निवासी रामद्वारा मोहल्ला खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
7. विनिता पुत्र राजेश पत्नी मोतीलाल, जाति कलाल, निवासी इकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
8. रितु पुत्री राजेश कुमार पत्नी विनोद, जाति कलाल, निवासी इकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
9. सपना पुत्र राजेश कुमार पत्नी हरिओम, जाति कलाल, निवासी कुरावत, तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश
10. संजय पारेता आत्मज राजेश कुमार, जाति कलाल, निवासी रामद्वारा मोहल्ला खानपुर, जिला झालावाड (राज0)

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2024/68** व नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**

मु.द.नं **732/दावा/2017** निर्णय एवं डिकी दिनांक –**15.02.2023**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 15 माह 04 सन् **2025**

हाजरी **श्री जगदीश नन्दवाना एवं श्री धीरेन्द्र मालव** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री धीरज सिंह** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2023 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **05** माह **05** सन् **2025** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.